## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजस्व नोहर जिला नुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0 )

वाद सं0 : 06 सन 2018

अनवान :–

1. ओमप्रकाश पुत्र बीरबल जाति जाट साकिन 16–17 केएनएन तहसील नोहर।

प्रार्थी

बनाम

1. काशीराम पुत्र दुदाराम जाति जाट निवासी 16–17 केएनएन तहसील नोहर।
2. रजिराम उर्फ राजेराम 3 हरिराम 4 इन्द्राज पुत्रगण काशीराम जाति जाट निवासी 16–17 केएनएन तहसील नोहर।

5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर ।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 251ए आर.टी. एक्ट बाबत रास्ता स्वीकृत करने

उपस्थित :–

1. श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता अप्रार्थी

निर्णय दिनांक :–12.02.2019

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्रं पेश किया जाकर निवेदन किया कि सायल की मुश्तरका खाते की रोही मौजा चक 16–17 केएनएन के खाता संख्या 3/2 की कुल 1. 6190हैक भूमि का खातेदार काश्तकार है।

रोही मौजा चक 16–17 केएनएन के खाता संख्या 20/9 के कुल किता 28 की कुल 6. 8310हैक भूमि गैरसयाल न0 1 ता 4 मुश्तरका खातेदार काश्तकार है

सायल अपने खेत में खाता संख्या 3/2 के प0न0 301/389 (63) के किला न0 13 में जाने के लिये गैर सायलान के प0न0 301/389(63) के किला न0 11 ,12 से होते हुए गैरसायलान के खेत में प्रवेश करके अपने खेत में आवागमन कर सकते है इसके अलावा सायल के खेत में जाने के लिये अन्य कोई रास्ता नही है।

सायल अपने गांव से चलकर स्वीकृतशुद्वा रास्ते पर बनी हुई 16–17 केएनएन स`चल नोहर आने वाली सडक से होते हुए गैरसायल के खेत 16–17 केएनएन के प0न0 301/389 (63) के किला न0 11 ,12 मे से होकर अपने खेत में पहूच सकता है यह रास्ता स्वीकृत नही है जिसे सायल स्वीकृत करवाना चाहता है एवं रास्ते के बदले में गैरसायल के चिपती हुई रोही मौजा चक 16–17 केएनएन के प0न0 301/379 (63) के किला न0 13 के पश्चिम में 2 गठठा भूमि दक्षिण में देने को तेयार है अतः सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

चक 16–17 केएनएन के प0न0 301/379(63) के किला न0 11 ,12 के दक्षिण दिशा में पश्चिम से चलकर पूर्व की और 1–1 गठठा रास्ता स्वीकृत कर राजस्व रिकार्ड में अंकन के आदेश फरमावे।

सायल का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को जरिये सम्मन /नोटिस तलब किया गया गैरसायलान जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर सायल के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए

जबाब पेश किया की सायल ने रोही मोजा चक 16–17 केएनएन में भूमि बताई गई है जबकि जमाबन्दी में केवल 16 केएनएन ही दर्ज इसके अतिरिक्त सायल ने खाता संख्या 3/2 के प0न0 301/389 (63) के किला न0 13 में अवागतन बताया है जबकि उक्त प0न0 में सायल का खेत ही नही है।

सायल अपने खेत में खाता संख्या 3/2 के प0न0 301/379 (63) के किला न0 13 में जाने व आवागमन नही करते है सायल प0न0 301/378 (44) व प0न0 301/379(64) के किला न0 5 ,6 ,16 ,25 से होकर प0न0 301/380(1) के किला न0 5 ,6 ,15 ,16 ,25 से होकर प0न0 301/381(10) के किला न0 1 ता 5 ये हसका फिर प0न0 301/379 (63) के किला न0 25 में पूर्व सीव से हाकर उतरी की तरफ किला न0 16 में प्रवेश करते है तथा उक्त रास्ता हमेशा से अनवरत आवागमन करते है

ओमप्रकाश बनवारी मुलाराम व बलवन्त पि0 बिरबलराम सगे भाई है जिनका खाता विभाजन में प्रत्येक के खेत में जाने हेतु रास्ता दिया गया है उसी रास्ते से आवागमन करते है मात्र अकेले ओमप्रकाश को रास्ता नही दिया जा सकता है अर्थात सायल हमेशा से मन्जुर शुद्वा रास्ता छोडकर सुविधाजनक रास्ता चाहता है जो कानून तोर पर नही दिया जा सकता है। पूर्व में रास्ता होते हुए केवल सूविधा के लिये रास्ते की मांग करना न्यायोचित नही है एवं सायल ने गैरसायल के पिता का नाम भी सही तौर से दर्ज नही किया गया है सायल ने प्रार्थना पत्र क्लीन हैण्ड से पेश नही किया है अतः सायाल का प्रार्थना पत्र खारीज योग्य है।

जबाब शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गई

सायल के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की सायल की मुश्तरका खाते की रोही मौजा चक 16–17 केएनएन के खाता संख्या 3/2 की कुल 1.6190हैक भूमि का खातेदार काश्तकार है।

रोही मौजा चक 16–17 केएनएन के खाता संख्या 20/9 के कुल किता 28 की कुल 6.8310हैक भूमि गैरसयाल न0 1 ता 4 मुश्तरका खातेदार काश्तकार है

सायल अपने खेत में खाता संख्या 3/2 के प0न0 301/389 (63) के किला न0 13 में जाने के लिये गैर सायलान के प0न0 301/389(63) के किला न0 11 ,12 से होते हुए गैरसायलान के खेत में प्रवेश करके अपने खेत में आवागमन कर सकते है इसके अलावा सायल के खेत में जाने के लिये अन्य कोई रास्ता नही है।

सायल अपने गांव से चलकर स्वीकृतशुद्वा रास्ते पर बनी हुई 16–17 केएनएन से चल नोहर आने वाली सडक से होते हुए गैरसायल के खेत 16–17 केएनएन के प0न0 301/389 (63) के किला न0 11 ,12 मे से होकर अपने खेत में पहूच सकता है यह रास्ता स्वीकृत नही है जिसे सायल स्वीकृत करवाना चाहता है एवं रास्ते के बदले में गैरसायल के चिपती हुई रोही

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

मौजा चक 16–17 केएनएन के प0न0 301/379 (63) के किला न0 13 के पश्चिम में 2 गठठा भूमि दक्षिण में देने को तेयार है अतः सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा चक 16–17 केएनएन के प0न0 301/379(63) के किला न0 11 ,12 के दक्षिण दिशा में पश्चिम से चलकर पूर्व की और 1–1 गठठा रास्ता स्वीकृत कर राजस्व रिकार्ड में अंकन के आदेश फरमावे। व अपने समर्थन में पटवारी हल्का की रिपोर्ट की और ध्यान आर्कषित किया ।

गैरसायल के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने जबाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की सायल ने रोही मोजा चक 16–17 केएनएन में भूमि बताई गई है जबकि जमाबन्दी में केवल 16 केएनएन ही दर्ज इसके अतिरिक्त सायल ने खाता संख्या 3/2 के प0न0 301/389 (63) के किला न0 13 में अवागतन बताया है जबकि उक्त प0न0 में सायल का खेत ही नही है।

सायल अपने खेत में खाता संख्या 3/2 के प0न0 301/379 (63) के किला न0 13 में जाने व आवागमन नही करते है सायल प0न0 301/378 (44) व प0न0 301/379(64) के किला न0 5 ,6 ,16 ,25 से होकर प0न0 301/380(1) के किला न0 5 ,6 ,15 ,16 ,25 से होकर प0न0 301/381(10) के किला न0 1 ता 5 ये हसका फिर प0न0 301/379 (63) के किला न0 25 में पूर्व सीव से हाकर उतरी की तरफ किला न0 16 में प्रवेश करते है तथा उक्त रास्ता हमेशा से अनवरत आवागमन करते है

ओमप्रकाश बनवारी मुलाराम व बलवन्त पि0 बिरबलराम सगे भाई है जिनका खाता विभाजन में प्रत्येक के खेत में जाने हेतु रास्ता दिया गया है उसी रास्ते से आवागमन करते है मात्र अकेले ओमप्रकाश को रास्ता नही दिया जा सकता है अर्थात सायल हमेशा से मन्जुर शुद्वा रास्ता छोडकर सुविधाजनक रास्ता चाहता है जो कानून तोर पर नही दिया जा सकता है। पूर्व में रास्ता होते हुए केवल सूविधा के लिये रास्ते की मांग करना न्यायोचित नही है एवं सायल ने गैरसायल के पिता का नाम भी सही तौर से दर्ज नही किया गया है सायल ने प्रार्थना पत्र क्लीन हैण्ड से पेश नही किया है 251 ए के तहत रास्ता स्वीकृत करने हेतु तहसीलदार के द्वारा मौका देखा जाकर मौका रिपोर्ट पेश की जानी चाहिये थी पटवारी हल्का के द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट का कोई औचित्य नही है ना ही उसे पढा जा सकता है अपने कथन के समर्थन में आर. आटी 2018 पेज 574 एव आरआरटी 2016 पेज 1281 , आरआरटी 2017 पेज 423 प्रस्तुत किये गये जाकर निवेदन किया की सायाल का प्रार्थना पत्र खारीज योग्य है।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया गया। सायल का कथन है कि उसे अपनी खातेदारी भूमि में जाने के लिये रास्ता नही है जो स्वीकार योग्य नही है क्योकि सायल को अपनी खातेदारी भूमि में जाने के लिये नजरी नक्शा एव गैरसायाल के कथनानुसार सायल प0न0 301/378 (44) व प0न0 301/379(64) के किला न0 5 ,6 ,16 ,25 से होकर प0न0 301/380(1) के किला न0 5 ,6 ,15 ,16 ,25 से होकर प0न0 301/381(10) के किला न0 1 ता 5 ये हसका फिर प0न0 301/379 (63) के किला न0 25 में पूर्व सीव से हाकर उतरी की तरफ किला न0 16 में प्रवेश करते है अर्थात सायल को अपनी खातेदारी भूमि में जाने के लिये रास्ता उपलब्ध है।

Web Copy - Not Official

सायल को अपनी खातेदारी भूमि में जाने के लिये रास्ता उपलब्ध है तो अन्य रास्ते की मांग केवल सूविधा के लिये की जानी प्रतित होती है मात्र सूविधा को ध्यान मे रखा जाकर रास्ता स्वीकृत किया जाना न्यायोचित नही है।

सायल ने रास्ता स्वीकृत करने के सम्बध मे पटवारी हल्का की रिपोर्ट पेश की गई जो उचित नही है 251 ए के तहत रास्ता स्वीकृत करने के लिये कम से कम तहसीलदार स्तर के राजस्व अधिकारी के द्वारा मौका देखा जाकर रिपोर्ट पेश की जानी चाहीये जिसके लिये गैरसायल ने न्यायिक दृष्टान्त आरआटी 2018 पेज 574 एव आरआरटी 2016 पेज 1281 , आरआरटी 2017 पेज 423 प्रस्तुत किये गये जो हस्तगत प्रकरण पर पूर्णत्या वस्पा होते है पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट के आधार पर रास्ता स्वीकृत किया जाना न्यायावित नही है

अतः सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही होने के कारण खारिज किया जाता है व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 12.02.19 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )
नोहर ( हनुमानगढ़ )

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official